२०२८०—का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

३ नवम्बर, १९७७

विषय : – राजकीय सेवाओं की तरह अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विहित आयु-सीमा में ३ वर्षों की वृद्धि ।

राजकीय संकल्प संख्या १७१०५, दिनांक १० सितम्बर, १९७७ द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न) सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा २७ वर्ष से बढ़ाकर ३० वर्ष कर दी गयी है और इसी अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु-सीमा ३२ वर्ष से बढ़ाकर ३५ वर्ष कर दी गयी है, जो आयोग द्वारा ली जानेवाली २६वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से लागू है और १९७९ के अन्त तक उपलब्ध रहेगी ।

२— पूर्वोक्त आदेश उन सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्ति के लिये प्रभावी नहीं है जिनके लिये निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा २७ वर्ष से कम है अथवा जिन पदों पर नियुक्ति संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होती है । वास्तव में विभिन्न सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु अलग-अलग है, खास तौर पर अराजपत्रित कोटियों में ।

३ — जिन कारणों से राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती की अधिकतम आयु-सीमा में ३ वर्ष की वृद्धि की गई है, उन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कंडिका २ में उल्लिखित कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ जहां जो अधिकतम आयु हो, उसमें ३ वर्ष की वृद्धि की जाय और इसी अनुपात में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति की आयु-सीमा में भी वृद्धि की जाय। यह सहूलियत दिनांक १० सितम्बर, १९७७ से ही लागू मानी जायेगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यह सुविधा १९७९ के अन्त तक उपलब्ध रहेगी और पुन: इसकी समीक्षा की जायेगी ।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सच्चिदानन्द सिन्हा,

सरकार के अपर सचिव ।

सं० ११९५-का०,

कार्मिक विभाग।

संकल्प*

२८ जनवरी १९७६

विषय :— सरकारी कार्यालयों में वर्ग-३ के पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ नयी व्यवस्था का निरूपण।

सरकारी कार्यालयों में लोक-सेवा आयोग के माध्यम से भर्त्ती किये जानेवाले वर्ग-३ के पदों से भिन्न इसी वर्ग के अन्य पदों पर नियुक्तियां, विभिन्न स्तरों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियोजित शक्तियों के अधीन (under delegated power) होती है।

२. सभी पूर्वादेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ग-३ के वैसे पदों को छोड़कर जिन पर वर्त्तमान व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती है, अन्य सभी पदों पर वहांकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्णयों के अनुसार होगी :—

(क) सभी कार्यालयों में वर्ग—३ के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षा में सम्मलित नहीं होना होगा और स्कूल तथा कालेज की परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को आधार मानकर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी एवं इसी मेरिट लिस्ट से संलग्न व्यवस्था के अनुसार, रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी।

(ख) सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों को सक्षम प्राधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के समकक्ष क्षेत्रीय पदाधिकारी, अपने-अपने स्तर पर, वर्ष में [illegible] अपने द्वारा भरे जानेवाले पदों को लेकर वास्तविक एवं साल के अन्दर होनेवाली रिक्तियों की सूचना सम्बद्ध कार्यालयों से एकत्रित करके एक साथ आवेदन आमन्त्रित करेंगे। इन्हीं आवेदकों में से रिक्ति के अनुसार सुयोग्य व्यक्तियों का चयन होगा, एवं कॉमन मेरिट लिस्ट से आवश्यकतानुसार, नियुक्ति के प्रयोजनार्थ विभिन्न संबद्ध कार्यालयों को सुयोग्य व्यक्ति आवंटित किये जायेंगे। उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कार्यालय के लिए करेंगे।

(ग) सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में तथा जिला स्तर पर होनेवाली रिक्तियों के आकलन अलग-अलग किये जायेंगे। इसके बाद सारी रिक्तियां, जिलावार एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को सूचित की जायेंगी जिसके कार्यक्षेत्र में सम्बद्ध कार्यालय आते हैं। ऐसा होने से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही साथ आवेदकों की संख्या भी एक सीमा के अन्दर रहेगी।

(घ) नियुक्तियों में आरक्षण और प्रश्रय देने से सम्बन्धित सभी सरकारी आदेशों का अक्षरशः पालन हो

---

* गजट (असाधारण) अंक २५५ दिनांक ११ फरवरी १९७६ में।

अनुपालन किया जायेगा। विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/जन-जाति के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिये, उनके लिये सामान्य मानक को शिथिल किया जायगा बशर्ते कि इन व्यक्तियों के व्यक्ति नियुक्ति के लिए बिल्कुल अयोग्य न हों।

(i) सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिये एक चयन समिति रहेगी जिसके अध्यक्ष होंगे सम्बद्ध स्थापना के प्रमुख और सदस्य होंगे उसी स्थापना के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें स्थापना के प्रमुख मनोनीत करें। दूसरे सदस्य होंगे विभाग में उपलब्ध अनुसूचित जाति / जन-जाति के पदाधिकारी। ऐसे पदाधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे विभाग में यदि उस कोटि के पदाधिकारी उपलब्ध हों तो उनको समिति में शामिल किया जाय और यदि यह भी संभव न हो सके तो कार्मिक विभाग के उप-सचिव या अवर-सचिव जो अनुसूचित जाति / जन-जाति सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करते हैं, को एक सदस्य के रूप में रखा जाय।

(ii) जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष होंगे सम्बद्ध स्थापना के जिला स्तरीय प्रमुख (District Head) और सदस्य होंगे उसी स्थापना के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी। उन्हें उनके जिला स्तरीय प्रमुख मनोनीत करें। दूसरे सदस्य रहेंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी ताकि अनुरक्षण सम्बन्धी सरकारी आदेश की, मेरिट लिस्ट तैयार करते समय, अवहेलना न होने पाए।

(च) मेरिट लिस्ट दो भागों में तैयार होगी पार्ट "ए" और "बी"। पार्ट "ए" में रिक्तियों के अनुसार सुयोग्य व्यक्तियों के नाम अंकित रहेंगे एवं पार्ट "बी", प्रतीक्षक सूची जैसी होगी जिससे, बाद की किन्तु वर्ष के भीतर होनेवाली रिक्तियों में नियुक्तियां की जा सकेंगी।

(छ) टंकक, आशुलिपिक आदि के पद जिस पर नियुक्ति के लिये सामान्य शैक्षणिक योग्यता के अलावे किसी खास विशेषता में पटु होना आवश्यक है, इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे यद्यपि इन नियुक्तियों में भी सेवा की सामान्य शर्तें समरूप लागू रहेंगी।

(ज) यह आदेश तुरत लागू होगा।

आदेश — (१) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

(२) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार सरकार के सभी विभागों [illegible] एवं जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

(३) राज्य सरकार के अधीन सभी स्वशासी बोर्डों, निकायों, निगमों, कम्पनियों एवं विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सभी स्तर की (वर्ग-४ एवं उसके समकक्ष पदों को छोड़कर) नियुक्तियां उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार होंगी। इसे सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध विभागों द्वारा आवश्यक अनुदेश तुरत निर्गत किये जायं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सी० आर० वेंकटरामन।

सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या १९१८-का०।

पटना—१५, दिनांक २८ जनवरी, १९७६

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

२। राजस्व पर्षद् से अनुरोध है कि बोर्ड से मिसलेनियस रूल्स में उपर्युक्त सरकारी निर्णयानुसार आवश्यक संशोधन कर लिये जायं।

३। सरकार के विभागों से अनुरोध है कि नियुक्ति से सम्बन्धित सेवा नियमावली जहां कहीं भी हो उसमें तदनुकूल संशोधन कर लिये जायं।

सी० आर० वेंकटरामन,

सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या १९१८-का०।

पटना-१५, दिनांक २८ जनवरी, १९७६।

प्रतिलिपि निदेशक, जन सम्पर्क, बिहार, पटना को व्यापक प्रचार के लिये अग्रसारित।

सी० आर० वेंकटरामन,

सरकार के सचिव।

INSTRUCTION FOR MAKING APPOINTMENTS TO ALL CLASS III POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION.

---

1. Applicability,— These instructions pertain to all class III posts recruitment to which is made otherwise than through the Bihar Public Service Commission and in respect of which no professional qualification is required,

2. Pooling of vacancies.- All existing vacancies and those likely to occur during the year, whether due to retirement, promotion to higher posts or creation of new posts should be pooled at their level, as the case may be, in all local offices subordinate to him by the Direct officer, and by the equivalent administrative head in respect of field officers with which he is concerned, by calling for information from all local establishments under them at the beginning of each year, and processed together with a view to their filling up from a common merit list. Same will apply in the case of vacancies in the Secretariat and attached offices as well where, however, the vacancies will be pooled by the head of the establishment concerned.

3, Advertisement.- All vacancies whether permanent or temporary, which are not filled by promotion from within the same office, should be notified, together with draft advertishment as in Appendix-I to the concerned Employment Exchange in accordance with the instructions contained in G. O, No. 8167, dated the 21st June, 1966 (Appendix-II)

4. Notice to the Employment Exchange should specifically indicate the number of vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-Servicemen seprately as also preference to be accorded to retrenched hands and sportsmen in accordance with orders issued by Government from time to time. Latest orders of Government on the subject are incorporated in Appendix-III for guidance,

5. Applications received from the Employment Exchange will be dealt with in the manner prescribed in Appendix-IV,

6. Drawing up of merit list,— Candidates will not be subjected to any kind of test whatsoever and their merit list will be drawn up only on the basis of marks in the manner herein-after indicated.

7. The percentage of aggregate marks obtained in the examination which is minimum prescribed for the post would be the base and it should be worked out first. In the case of candidates who have passed higher examinations like, B. A., Com. B, Sc., B. L. or possess any post-graduate degree, ect,, they will get weightage of five percent (5%) over the base marks, i. e. the percentage of aggregate marks obtained in the examination relating to the prescribed minimum qualification.

8. General candidates, who on the last date fixed for the receipt of application are 25 years of age and above but not exceeding 27 years will get weightage of additional marks in the following manner :—

Candidates who have attained the age af—	Marks,
25 years	2
26 years	4
27 years	8

In ths case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes similar weightage will be accorded to those who have attained age of 30, 31 and 32 years.

9. After marks have been worked out in the manner indicated above, the figure so arrived at will be increased by the following rates for sports qualfications :-

(a)	International Competition ...	4
(b)	National Competition	3
(c)	Inter University Tournament ...	2
(d)	National School Sports ...	1

10. Approval of merit list —The final merit list drawn in accordance with paragraphs 6 to 9 above will be duely approved by a Selection Committee constituted in the prescribed manner.

While approving the merit list rhe Selection Committee shall see that Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are represented therein the prescribed proportion according to instructions issued from time to time for ensuring proper representation of Scheduled Casts and Scheduled Tribes in services and posts under Government.. If this cannot be secured by applying the common yardsticks the standard in their case should be relaxed to fix in the vacancies reserved for them provided they are otherwise suitable . Reference in this respect is invited to instructions contained in Government Resolution no. 139577, dated the 31st July, 1972 (relevant portions extracted in Appendix-V).

11. The merit list thus approved shall be in parts. Part—A will consist of names up to the number of vacancies notified for filling. Part—B will consist of names lower down in the merit list beginning from the candidate just below the last candidate in the corresponding Part—A list. It would suffice if Part—B list is to be about half the number of names in Part—A, Part—B of the list is to be utilised for filling up vacancies due to drop outs from Part—A of the list and / or filling up vacancies that may occur in future, Ordinarily the lists shall remain valid for a year. Vacancies occurring hereafter can be filled from the old lists, only in case it is validated by the concerned head of the Department for sufficient reasons to be recorded in writing.

12. Allotment of candidates from the common merit list— Candidates from the common merit list will be allotted by the head of the establishment / District Officer / Departmental head at the corresponding level, as the case may be to the various offices under him according to the requirements of each ascertained under para-2 ibid, for appointment by different authorities under delegated powers. While forwarding name of selected candidates their application forms, along with all enclosed certificates, etc. will also be sent.

13. Verification of certificates from the original and issue of Appointment letter.- On receipt of order allotting candidate (s) for appointment the appointing authority shall ask him / them by registered post to appear before him in persons on a Particular date and time along with all his/their certificates and degrees in original. When the candidate reports he should be asked to fill in the prescribed application form in case this has not been received aleady and all certificates in regard to qualifications, age, sports activities, in support of his belonging to a Scheduled Cast/Tribe or being an ex-serviceman or a retrenched hand, etc., should be properly scrutinised and checked up with the originals, In appointments after 1st January, 1976 the candidate shall also be asked to furnish in ddition to the usual medical certificate and declaration that he has not accepted any dowry, or that if he is unmarried, he will not accept dowry when he gets married. Only thereafter shall the appointing authority proceed to issue the order of appointment.

APPENDIX 1

SPECIMEN OF ADVERTISEMENT

Applications, in plain paper, are invited for the posts of ... ... in ... ...(name of office / Department) under the control of the undersigned.

1. Scale of Pay—Rs. ... ... plus usual allowances as admissible to State employees from time to time.

2. Age— Below 27 years on ... ... Upper age-limit relaxable by five years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

3 **Minimum educational qualification—**

4. Selection—On the basis of marks obtained in the examination relevant to the minimum educational qualification prescribed for the post. Bonus marks are also awarded for higher qualifications, age and posts.

5. All applicants should have registered themselves with the EmploymentExchange within whose operational jurisdiction the vacancy lies. They must indicate the registration no. and name of the Employment Exchange in the application form.

6. **Vacancies are following :—**

7. Application form- Candidates are required to apply in plain paper giving the following particulars : (i) Name in Full, (2) Postal address in full, (3) Date of birth (in Christian era as recorded in the Matriculation or its equivalent examination certificate), (4) If a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe, state- (a) Name of Caste (for S/C only), (b) Name of Tribe, (for S. T. only), (5) Educational qualifications beginning of examination, subjects taken, marks obtained in each subject and total marks, percentage of aggregate marks and name of the University or Board. An attested copy of the marks sheet for each examination should be attached. (6) Particulars of Sports activities, with attested copies of certificats sheet in support of the same, (7) Registration no. and name of Employment Exchange, (8) If ex-serviceman or a retrenched hand give particulars with attested copies of certificate (s).

Note- (Original certificates should not be submitted with the applications).

8. Last date for receipt of applications- Applications should reach the undersigned latest by ... ...
The covers hould be superscribed in bold letters "Application for recruitment to ... ...

APPENDIX II

No नि० ८१६७।

Government of Bihar.

Appointment Department.

From

Shri K. K. Srivastava,

Secretary to Government,

To

All Secretaries to Government.

All Heads of Departments.

Patna—15, the 31st Jyaistha, 1888/21st June, 1966,

Subject :— Recruitment to State Government vacancies through the agency of Employment Exchange.

Sir,

I am directed to say that the question of recruitment to State Government vacancies through the agency of Employment Exchanges in the State has been under consideration of the Government for sometime past.

2. It has now been decided that henceforth all recruitments to State Government vacancies will be channelised through the Employment Exchanges, on a compulsory basis, except vacancies that are filled on the recommendations of the Bihar Public Service Commission or by promotion, transfer or deputation. For the rest, other sources of recruitment will be tried only when the Employment Exchanges concerned issue a non-availability certificate,

3. Therefore, all such vacancies in State Government establishments to be filled up hereafter should be notified to the nearest Employment Exchange on the prescribed pro forma which is reproduced on Appendix I to this letter. The vacancies should normally be notified to the concerned Employment Exchange by giving reasonable notice, say minimum of three weeks in respect of vacancies to be notified in the newspapers and ten days in respect of other vacancies. In case of urgent demands, however, the candidates may be called for at a shorter notice. A list of Employment Exchanges in the State together with their respective operational jurisdiction has been reproduced on Appendix II to this letter for guidance of all concerned.

4. Employment Exchanges maintain a register of persons who are looking for employment and their names are registered on a free and voluntary basis. In order, however, to ensure that the best available candidates register with the Employment Exchanges, it has been decided that whenever 5 or more vacancies are notified by any State Government establishment, the Employment Exchange concerned will advertise these vacancies in newspapers. This will also ensure that those who have not regisered themselves earlier but are desirous of being considered for the post may also take advantage of this opportunity by registering with the Employment Exchange.

5. When the number of vacancies, to be filled in an establishment, is less than 5 the appointment authority, if so desires, may issue an advertisement in the newspaper at his own cost, directing the intending candidates to send their application to the Employment Exchange concerned with in a date to be prescribed in the advertisement.

The notification of the vacancies together with a copy of advertisement should however be sent to the Employment Exchange in the manner as prescribed in paragraph 3 above.

6. The Employment Exchange will only be responsible for submitting names and particulars of suitable candidates to the employing authority for his selection against the vacancy notified by him. Whenever so desired by the employing department, the Employment Exchange concerned will associate a representative of his for screening of applications available with the Employment Exchange for the purpose of preparing a short list of candidates who will be called for interview or other tests.

7. It may be noted that from the date of the receipt of these instructions no application in respect of the vacancies specified in paragraph 2 above should be entertained by an employing authority directly unless the Employment Exchange concerned issues a non-availability certificate.

8. Kindly advise local bodies and State enterprises concerned with your department to follow similar procedure in filling up their vacancies.

Yours faithfully.

K. K. SRIVASTAVA,
Secretary to Government.

MEMO. No. नि० ८१६७

Patna-15, the 31st Jyaistha, 1888/21 st June 1966.

Copy together with copies of Appendixes forwarded to (1) all Divisional Commissioners, and (2) all District Officers for information and necessary action.

K. K. SRIVASTAVA,
Secretary to Government.

APPENDIX I.

Form for Notification of vacancies to Employment Exchange.

1. Name and address of employer. ...
2. Telephone number of the employer, if any. ....
3. Nature of vacancy—
   - (a) Designation ....
   - (b) Description of duties ...
   - (c) Qualifications required—
     - (i) Essential ...
     - (ii) Desirable ...
   - (d) Age-limits, if any ...
   - (e) Whether women are eligible.
4. Number of vacancies ...
5. Whether temporary or permanent
6. Pay and allowances ...
7. Place of work (name of town/village and district in which it is situated).
8. If liable to be transferred, region within which transfer possible.
9. Probable date by which the vacancy should be filled.
10. Particulars regarding interview test of applicants—
    - (a) Date of Interview/test ....
    - (b) Time of Interview/test ....
    - (c) Place of Interview/test ....
    - (d) Designation and address of the person to whom applicants should report.
11. Whether there is any obligation or arrangement for giving preference to any category of persons in filling up the vacancies ?
12. Reservation for Scheduled Caste/Tribe Candidates—
    - (a) Scheduled Castes ...
    - (b) Scheduled Tribes ...
13. Any other relevant information.

APPENDIX II.

Name and address of the Employment Exchange.	Area.
1	2
1. Regional Employment Exchange, Patna.	The district of Patna excluding the Thanas of Mokameh and Sarmera in the district of Patna.
2. District Employment Exchange, Arrah (Shahabad).	Arrah Sadar and Buxar Subdivisions of the district of Shahabad.
3. Employment Exchange, Dalmianagar (Shahabad).	Bhabhua and Sasaram Sub-division of the district of Shahabad.
4. District Employment Exchange, Bhagalpur.	Whole of the district of Bhagalpur.
5. District Employment Exchange, Caya.	Whole of the district of Gaya.
6. District Employment Exchange, Daltonganj (Palamau).	Whole of the district of Palamau.
7. District Employment Exchange, Monghyr.	The district of Monghyr excluding the Subdivision of Begusarai in the district of Monghyr.
8. Sub-Regional Employment Exchange, Muzaffarpur.	Whole of the district of Muzaffarpur.
9. District Employment Exchange, Chapra.	Whole of the district of Saran.
10. District Employment Exchange, Katihar (Purnea)	Whole of the district of Purnea.
11. District Employment Exchange, Motihari (Champaran).	Whole of the district of Champaran.
12. District Employment Exchange, Laheriasarai (Darbhanga).	Whole of the district of Darbhanga.
13. District Employment Exchange, Saharsa.	Whole of the district of Saharsa.
14. Employment Exchange, Barauni at Begusarai.	Begusarai subdivision in the district of Monghyr and the Thanas of Mokameh and Sarmera in the district of Patna.

APPENDIX II—concld.

Name and address of the Employment Exchange.	Area.
1	2
15. Sub-Regional Employment Exchange, Jamshedpur.	Dalbhum subdivision of the district of Singhbhum.
16. District Employment Exchange, Chaibassa (Singhbhum).	Chibassa Sadar and Saraikella Subdivisions of the district of Singhbhum.
17. Sub-Regional Employment Exchange, Dhanbad.	Whole of the district of Dhanbad except the Thanas of Sindri, Baliapur, Chandankiari, Jorapokhar, Nirsa and Chirkunda in the district of Dhanbad.
18. Employment Exchange, Sindri (Dhanbad).	Thanas of Sindri, Baliapur. Chandankiari, Jorapokhar in the district of Dhanbad.
19. Employment Exchange, Kumardhubi (Dhanbad).	Thanas of Nirsa and Chirkunda in the district of Dhanbad.
20. District Employment Exchange, Ranchi.	Whole of the district of Ranchi
21. District Employment Exchange, Hazaribagh.	The district of Hazaribagh excluding the Thanas of Bermo, Gola, Nawadih, Ramgarh, Gomia, Petlrbar and Jeridih in the district of Hazaribagh,
[illegible] District Employment Exchange, Dumka (Santhal Parganas).	Whole of the district of Santha Parganas.
[illegible] Employment Exchange, Bokaro (Hazaribagh).	Thanas of Nawadih, Gomia, Bermo, Gola and Jeridih in the district of Hazaribagh.
[illegible] Pilot Employment Exchange, Jharia (Dhanbad),	Only colliery establishments in thanas of Jharia, Kenduadih, Jogta, Jorapokhar in the district of Dternbad.
25. Employment Exchange, Patratu (Hazaribagh).	Thanas of Ramgarh and Peterbar.
26. Employment Exchange, Maraphari (Hazaribagh)	Thanas of Bermo, Gola, Nawadih Gomia and Jeridih in the district of Hazaribagh.

[illegible] जातियों के [illegible] जिनके [illegible] संक्रमण के केस हुए हैं, उनका [illegible] उपर्युक्त नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाय अर्थात् राजपत्रित [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] नियम द्वारा [illegible] का आदेश [illegible] और अराजपत्रित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में [illegible] का आदेश प्राप्त किया जाय।

(४) अनुसूचित एवं जनजाति के लिए भी [illegible] परीक्षा पास करनी है [illegible] के लिये [illegible] ऐसा आदेश है कि प्रोन्नति के मामले में [illegible] के केस में [illegible] किया जाय, लेकिन इस पर [illegible] ध्यान दिया [illegible] है। [illegible] आदेश है कि [illegible] के लिये [illegible] परीक्षा/शुद्ध [illegible] जाने वाले [illegible] एवं हरिजनों के लिये [illegible] स्तर का हो। [illegible] इस आदेश का पालन नहीं होता है। फलस्वरूप अहिन्दी भाषी [illegible] हिन्दी परीक्षा [illegible] की [illegible] हो गयी है। [illegible] निर्णय लिया है कि हरिजन एवं आदिवासी पदाधिकारियों के लिये [illegible] हिन्दी परीक्षा [illegible] स्तर के लिये वर्तमान ६० प्रतिशत से घटाकर ५० प्रतिशत निर्धारित किया जाय [illegible] ५० प्रतिशत से घटाकर ४० प्रतिशत कर दिया जाय।

[illegible] आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित [illegible] और इसकी [illegible] आयोग एवं प्रत्येक [illegible] एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible]
सरकार के [illegible]।

[illegible]

[illegible]

ज्ञाप संख्या बि०१९८६७

[illegible]

२१ नवम्बर १९७०

[illegible], बिहार

[illegible]

ज्ञाप संख्या नि-११८६७

२१ नवम्बर १९७०

पटना-१५, दिनांक ———————

३० कार्तिक १८९२

प्रतिलिपि सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० सी० एम० ३ ए/म०-१-१०२६/७२—६७

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

सेवा में

सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक ८ [illegible] १९७[illegible]

विषय—तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति में छंटनीग्रस्त सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता।

मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र सं० ३३६३, दिनांक ५ जुलाई १९६७ एवं अनुवर्ती परिपत्र सं० ४८७२, दिनांक २५ सितम्बर १९६७ तथा ४९४९, दिनांक २ सितम्बर १९६९ (प्रतिलिपि संलग्न) में सरकार ने निदेश दिया था कि भविष्य में सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी बाह्य व्यक्ति की नियुक्ति बिलकुल नहीं की जाय, वरन उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिनकी छंटनी सरकारी सेवा से हो गयी है। मात्र पुलिस बल में नियुक्ति के लिये छंटनी वाली सूची से ही नियुक्ति करने की पाबन्दी नहीं थी। इस तरह सभी रिक्तियों को (पुलिस बल छोड़कर) छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने के चलते, पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब और काफी दिक्कत का अनुभव हो रहा है, कारण वर्तमान व्यवस्था के अनुसार छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची केन्द्रीय नियोजनालय प्रकोष्ठ तथा प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में रहती है और नियोजनकर्त्ता को अपने अधीन रिक्त पदों की सूचना पहले प्रमंडलायुक्तों/केन्द्रीय नियोजन कोषांग को छंटनीग्रस्त उम्मीदवारों की प्रस्तुती के लिए भेजनी पड़ती है। उक्त सूची से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहने पर [illegible] नियोजनालय से सुयोग्य उम्मीदवारों के नाम मांगे जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा रिक्त पदों को भरने में विलम्ब तो [illegible] छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची और उनका वर्तमान पता प्रायः अद्यतन नहीं रहने के कारण बहाली में [illegible] कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर रिक्तियों के १४ प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए और १० प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित हैं। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के पदों को २० प्रतिशत [illegible]

एवं तृतीय श्रेणी के पदों की १० प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित है (नियुक्ति विभाग का परिपत्र संख्या ९१२, तिथि २० जनवरी, १९६९ एवं कार्मिक विभाग का पत्र संख्या १७२६०, तिथि १४ सितम्बर, १९७२)। इन कारणों से सभी रिक्तियों पर छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति सम्भव नहीं है।

२। अतः सारी स्थिति पर समग्र रूप से पुनर्विचार करते हुये इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(क) जो पद अनुसूचित जाति जन-जाति के सदस्यों के लिये अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिये नियमानुकूल आरक्षित हों उन पर नियुक्ति के लिए छंटनी वाली सूची के उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाय जो उपर्युक्त कोटियों में आते हैं। अगर सूची में इन कोटियों के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो फिर बाहर से जन-जाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति अथवा भूतपूर्व सैनिक नियुक्त किये जायें।

(ख) अनारक्षित रिक्तियों के ५० प्रतिशत पद प्राथमिकता के आधार पर सुयोग्य छंटनीग्रस्त कर्मचारियों में से भरे जायें। अवशेष ऐसे पदों पर नियुक्तियां बाह्य व्यक्तियों में से सामान्य प्रक्रिया अपनाकर की जाय।

३। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी विभाग अपने से सम्बद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्त-शासी निकाय एवं स्थानीय संस्थाएं तथा नगरपालिकाओं में वर्ग ३ और ४ के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति में इसी नीति का अनुपालन करावें।

४। उपर्युक्त अनुदेशों तक मन्त्रिमंडल सचिवालय का परिपत्र सं० ३३६३, दिनांक ३ जुलाई, १९६७, ४७७९, दिनांक १९ सितम्बर, १९६७ तथा ४९४९, तिथि २ दिसम्बर, १९६९ संशोधित समझा जाय। इन निर्णयों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को तुरत अवगत करा दें।

५। कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

Memo No. C. [illegible]

Government of Bihar

Department of [illegible]

(Cabinet Secretariat)

To

All Departments of Government.

All Heads of Departments.

Patna-15, dated [illegible]

[illegible] September, 1969.

Subject :— Absorption of retrenched Government servants.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat memo nos. 3363, dated 5th July, 1967, [illegible], dated [illegible] September, 1967 (copy enclosed) and to say that in spite of the instructions of Government [illegible] from time to time it has been noticed that instead of employing the retrenched Government servants in new vacancies the departments of Government make direct recruitment from the open market for some reason or the other. It has since been decided that henceforth it will be the [illegible] responsibility of the heads of departments to ensure that these instructions are followed strictly.

2. It has further been decided that for offices situated in the field, the respective Divisional Commissioners should maintain a comprehensive list of retrenched employees of that division and all appointments should be made from the aforesaid list. All offices in that division should take the prior approval of the Divisional Commissioners before appointing any person other than a retrenched employee in case this becomes absolutely and unavoidably necessary.

[illegible]

Chief Secretary to Government.

Memo No. C. S.—4949.

Patna-15, dated the [illegible]

[illegible] September, 1969.

Copy forwarded to the Divisional Commissioner for necessary action.

[illegible]

[illegible]

सचिवालय प्रशासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के सभी सचिव एवं अपर सचिव,

[illegible]

सरकार के सभी विभाग ।

[illegible]

२४ [illegible]

[illegible]

[illegible] सूचना [illegible] जुलाई, १९६० [illegible] जुलाई, १९६० [illegible] नहीं की जाय । [illegible]

[illegible]

[illegible] अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या सी० एम०—१/ एम० ३—१०१०५/६७—४८७२

बिहार सरकार,
मन्त्रिमंडल सचिवालय।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव / विभागाध्यक्ष।

४ आश्विन, १८८९ (श०),
पटना, दिनांक———————
२४ सितम्बर, १९६७।

विषय :— अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति।

उपर्युक्त विषय पर श्री पी० पी० अग्रवाल के परिपत्र सं० १२६१, दिनांक ४ जुलाई, १९६७ में यह आदेश निर्गत हुआ कि अराजपत्रित पदों पर भविष्य में किसी बाह्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो, वरन् उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिनकी छंटनी सरकारी सेवा से हो गई हो। ऐसे व्यक्तियों की सूची वित्त विभाग में रखी गई है।

२। इस अनुदेश का अनुपालन करने में कई विभागों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कारण वित्त विभाग की सूची से कई सभी रिक्तियों के लिए समुचित योग्यता-प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पर जो पूरी पाबन्दी लगा दी गई है उसको शिथिल किया जाय। सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिया है।

३। किसी विभाग में या किसी विभागाध्यक्ष के अधीन अराजपत्रित पद पर यदि रिक्ति हो तो पूर्व प्रथम वित्त विभाग से परामर्श कर छंटनीवाली सूची से योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने का पूर्ण प्रयास किया जाय। इसके लिये आवश्यकतानुसार नियुक्ति की शर्तों सम्बन्धी अनुदेशों को शिथिल किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप उम्र-सीमा की छूट। नियोजनालय से सूची मंगाये बिना ही सक्षम पदाधिकारी छंटनीवाली सूची से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं।

४। अगर वित्त विभाग की छंटनी वाली सूची से उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों उस अवस्था में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर, बाह्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाय।

५। लेकिन जो पद अनुसूचित जाति या जन-जाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित हों, उन पर नियुक्ति के लिये छंटनी वाली सूची से उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाय जो उक्त जातियों के सदस्य हों। अगर सूची में उक्त जातियों के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तो फिर बाहर से जन-जाति या अनुसूचित जाति के सदस्य नियुक्त किये जायें।

६। चूंकि पुलिस बल में योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त करना वांछनीय है और उसके लिये शारीरिक योग्यता का भी प्रश्न उठता है इसलिए पुलिस बल में नियुक्ति के लिये छंटनीवाली सूची से ही नियुक्ति करने की पाबन्दी नहीं रहेगी।

श्रीधर वासुदेव सोहोनी,
मुख्य सचिव।

APPENDIX III

Memo No. III/R-1-603/67-A—912.

Government of Bihar,
Appointment Department.

To

All Departments of Government,
All Heads of Departments.

Patna-15, dated the 30th Pausa, 1990,
20th January, 1969.

Subject :— Reservation of vacancies for ex-servicemen in Class III and Class IV posts under the State Government.

The undersigned is directed to say that the problem of rehabilitation of a large number of ex-servicemen in the country who have not been able to resettle themselves in civil life has been engaging the attention of the Government of India. The Government of India have decided to accord the following concessions to ex-servicemen for purposes of their employment in civil posts under them :—

(i) **Reservation of civil posts under the Central Government** :— Twenty percent of permanent vacancies in Class IV posts and 10 percent of permanent vacancies in Class III posts at the Centre are reserved for the ex-servicemen in the first instance for a period of two years subject to the condition that in any recruitment years the total number of vacancies reserved for ex-servicemen, scheduled castes and scheduled tribes taken together does not exceed 45 percent of the vacancies to be filled up in that year.

(ii) The ex-servicemen will get age concession of three years in addition to the period of service rendered by them in Defence services.

(iii) For posts of Daftari, Jamadar and Record Sonbers (under the State Government they are called Record Supplier) the demobilised ex-servicemen are exempted from the prescribed educational qualification provided they have put in three years military service before demobilisation.

2. The State Government have decided to grant similar concessions to the ex-servicemen for appointment to Class III and Class IV posts under them with the modification that the reservation will be a continuous process.

3. All appointing authorities may kindly be directed to give immediate effect to the above decision of the State Government.

4. High Court has been requested to issue similar instructions in regard to Class III and Class IV posts under them.

5. Director of Public Relations is requested to give wide publication in the Press.

By order of the Governor of Bihar,
B. K. Dubey,
Deputy Secretary to Government.

पत्र संख्या ३/आर० १—२०१/७१—४५९२

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री पी० के० जे० मेनन,

सरकार के मुख्य सचिव,

सेवा में

सभी आयुक्त/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ३० मार्च, १९७१।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद १६ (२) में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु प्रदान किये गये हैं पर हम यह पाते हैं कि इस राज्य में सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में नियुक्त महिलाओं की संख्या नगण्य है।

२. स्नातक के समान कुछ ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति हेतु महिलाएं अधिक उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त लिपिक की श्रेणी में भी कुछ ऐसे पद हैं जिन पर महिलाएं समान योगदान दे सकती हैं। वस्तुतः महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों में सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों के ४० से ५० प्रतिशत पदों पर महिलाएं नियुक्त हैं।

३. सरकार चाहेगी कि नियुक्ति करनेवाले प्राधिकार ऐसी चेष्टा करें जिससे भविष्य में जहाँ तक संभव हो अधिक संख्या में महिलाएं नियुक्त की जायं। यह औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उद्देश्य हेतु रिक्तियों का कोई प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाय। इसमें संवैधानिक कठिनाई होगी। फिर भी जब नियुक्ति हेतु समितियां गठित की जायें, तो इस बात का ध्यान रखें कि उचित पदों पर अधिक संख्या में महिलाएं नियुक्त की जायं।

४. सभी विभाग भविष्य की नियुक्तियों में इस निदेश को ध्यान में रखें।

विश्वासभाजन,

पी० के० जे० मेनन,

मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/आर० १-०१३/७२-का०—१७२१२

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में

सभी सरकारी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष।

१ भाद्र १८९४ (श०)

पटना—१५, दिनांक

१४ सितम्बर १९७२

विषय—राज्य सरकार; राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय और अन्य स्वशासी संस्थाओं के अधीन सिविल नियोजन में प्रतिरक्षा सेवा के विकलांग कर्मचारियों का पुनर्नियोजन।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि शत्रु के विरुद्ध या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में की गयी कार्रवाइयों में विकलांग हुए प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की समस्या पर भारत का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। भारत सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद यह विनिश्चय किया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को अपने अधीन सिविल पदों पर नियोजित करने के प्रयोजनार्थ कुछ रियायतें दी जायं। तदनुसार बिहार के विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए राज्य सरकार ने भी यह विनिश्चय किया है कि सरकार, राज्य सरकारी, क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकायों और अन्य स्वशासी संस्थाओं के अधीन सिविल पदों पर ऐसे व्यक्तियों के नियोजन के लिये निम्नलिखित रियायतें दी जायं :—

१. श्रेणी १ और २ के पदों पर नियुक्तियों में प्राथमिकता—

प्रतिरक्षा सेवा के विकलांग कर्मचारी, जिन्हें विहित योग्यताएं और अनुभव हो और जिनकी उम्र ४५ वर्ष (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के विकलांग कर्मचारियों की दशा में ५० वर्ष) से अधिक न हो। श्रेणी १ और श्रेणी २ के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रथम प्राथमिकता के हकदार होंगे, बशर्ते कि वहीं लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित के आधार पर की जांच और वे पद के उपयुक्त पाए जाएं।

उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त सरकारी विभागों के लिये यह आवश्यक होगा कि ये पदों को भरने सम्बन्धी अध्यपेक्षाओं की प्रतियाँ उस आयोग के पास जहां उक्त व्यक्तियों को साक्षात्कार करना हो, भेजने के साथ-ही-साथ महानिदेशक, पुनर्नियोजन प्रतिरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास भी भेजें।

(२) नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के कितने अवसर दिये जायं—

यदि श्रेणी १, २ और ३ के पदों पर नियुक्तियां लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित या आयोग से भिन्न निकायों द्वारा ली गयी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाय, तो प्रतिरक्षा सेवा के विकलांग कर्मचारियों को, बशर्ते कि वे शैक्षिक रूप से योग्य हों, उतने से अधिक अवसर न दिये जायेंगे जितने कि एक खास उम्र-सीमा के भीतर वाले हरेक सामान्य उम्मीदवार को अधिक-से-अधिक दिये जाते हैं।

(३) श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के पदों पर हुई रिक्तियों का आरक्षण—

स्थायी रिक्तियां सहित श्रेणी ३ के पदों की दस प्रतिशत रिक्तियां और श्रेणी ४ के पदों की २० प्रतिशत रिक्तियां, जो प्रतिवर्ष सीधी भरती द्वारा भर्ती जाती हों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रहती हैं, बशर्ते कि हरेक भर्ती वर्ष में भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अग्रानीत आरक्षणों सहित) तथा हरेक अन्य कोटि के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल मिलाकर उस वर्ष भरी जानेवाली रिक्तियों के ४५ प्रतिशत से अधिक न हो।

इन आरक्षित रिक्तियों को भरने में सबसे पहले विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को और उसके ठीक बाद युद्ध में मारे गये प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के हरेक परिवार के दो सदस्यों को प्राथमिकता दी जायगी।

(४) अधिकतम उम्र-सीमा को शिथिल करना—

प्रतिरक्षा सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गयी सेवा की अवधि के अलावा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को अधिक-से-अधिक तीन वर्षों तक उम्र में रियायत दी जायगी।

उम्र सम्बन्धी रियायत का दावा करने के प्रयोजनार्थ ऐसे दावे के समर्थन में केवल महानिदेशक, पुनर्नियोजन, प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त प्रमाण-पत्र को ही लेखात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायगा।

(५) विहित शैक्षिक योग्यताओं को शिथिल करना—

चपरासी, दफ्तरी, जमादार और अभिलेख आपूरक (रेकर्ड सप्लायर) के पदों के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों को विहित शैक्षिक योग्यताओं से छूट दी गयी है, बशर्ते कि वे प्रशस्त बल (फोर्स) से अलग होने के पहले तीन वर्षों तक सेवा में रहे हों।

(६) स्वास्थ्य स्तर (मेडिकल स्टैंडर्ड)—

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणी १ से ४ के पदों पर नियोजन के प्रयोजनार्थ प्रतिरक्षा सेवाओं के सैन्य वियोजन चिकित्सा बोर्ड (डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र, साधारणतः समझा जायगा। किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में, यदि सैन्य वियोजन के बाद किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था घट-बढ़ जाय तो नियुक्ति पदाधिकारी समुचित सिविल चिकित्सा बोर्ड से, उसे फिर से उसकी

स्वास्थ्य परीक्षा की अपेक्षा कर सकेगा, और यदि विकलांग कर्मचारी पद के कर्त्तव्यों के लिये योग्य पाये जाएं तो उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य समझा जायगा।

२. सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को कृपया यह निदेश दे दिया जाय कि वे राज्य सरकार के उपर्युक्त विनिश्चय को तुरंत अंजाम दें और यह सुनिश्चित करें कि उसका ठीक से अनुपालन हो रहा है।

३. उच्च न्यायालय और राज्य विधान मंडल सचिवालय से अलग से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ श्रेणी ३ और ४ के पदों के सम्बन्ध में ऐसे ही अनुदेश निर्गत करें।

४. सरकारी विभागों को यह निदेश दिया जाता है कि वे राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य स्वशासी संस्थाओं के द्वारा जिनसे वे सम्बद्ध हों, इन विनिश्चयों को तुरत अंजाम दिलाने के लिये कार्रवाई करें। उन्हें निर्गत अनुदेशों की एक प्रति अभिलेख के लिये, कृपया, नियुक्ति विभाग को भेज दी जाय।

५। जन-सम्पर्क निदेशक से अनुरोध है कि वे प्रेस और रेडियो के जरिये सरकार के इन विनिश्चयों का व्यापक प्रचार करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ३/आर० १-६०३/७२—१७२६२-का०

२३ भाद्र, १८९४ (श०)
पटना-१५; दिनांक————————————।
१४ सितम्बर, १९७२

प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग को जानकारी के लिये भेजी जाती है।

सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ३/आर० १-६०३/७२—१७२६२-का०

२३ भाद्र, १८९४ (श०)
पटना-१५, दिनांक————————————।
१४ सितम्बर, १९७२

[illegible] प्रतिलिपि [illegible] में अंकित विभाग को जानकारी तथा महालेखापाल, बिहार [illegible] के लिए अग्रसारित की जाती है।

सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप सं० ३/आर० १-१०१/७२-११०२

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी ।

३ माघ, १८९३ (श०)
पटना-१५, दिनांक———————— ।
२५ जनवरी, १९७२

विषय —युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में दी जानेवाली सुविधा

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि भारत सरकार ने वीरगतिप्राप्त सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को श्रेणी ३ एवं श्रेणी ४ के पदों पर नियुक्ति की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गत आदेश में (मंत्रिमंडल सचिवालय) कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या १३/२४/७१-इस्ट (सी), दिनांक २१ दिसम्बर, १९७१ (प्रति संलग्न) में व्यवस्था है कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों तक की सीधी भर्ती द्वारा भरे जानेवाले श्रेणी ३ एवं ४ के पदों पर नियुक्ति की जायगी और इसके लिये उन सदस्यों को नियोजनालय में अपना नाम अंकित कराने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। नियुक्ति में यह सुविधा वीरगति प्राप्त सैनिक की विधवा पत्नी के अतिरिक्त उनके पुत्र, पुत्रियों तथा निकट के सम्बन्धियों को भी प्राप्त रहेगी जो उस सैनिक परिवार के भरण-पोषण का दायित्व लेने को राजी हैं। वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के सदस्यों को छंटनीग्रस्त कर्मचारियों एवं सैन्य सेवा से विमुक्त पंगु सैनिकों के ठीक बाद नियुक्ति को प्राथमिकता दी जायगी।

२। इसी आधार पर राज्य सरकार ने भी राज्य वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के पुनर्वासन के लिये निर्णय लिया है कि इस राज्य के वीरगति प्राप्त सैनिकों के प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों तक को श्रेणी ३ एवं ४ के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में वही सुविधा एवं प्राथमिकता दी जायगी जो भारत सरकार ने दी है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति वीरगति प्राप्त सैनिक के परिवार का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। उपर्युक्त सुविधा के उद्देश्य से वीरगति प्राप्त सैनिक के परिवार में उनकी विधवा पत्नी के अतिरिक्त पुत्र, पुत्रियां तथा निकट के सम्बन्धी जैसे, भाई, चाचा, चचेरा भाई, मामा, भतीजा [illegible] माने जायेंगे। नियुक्ति विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या ८११७- नि०, दिनांक २१ जून, [illegible] के अनुसार [illegible] सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को नियोजनालय में नामांकन कराना आवश्यक है, किन्तु वीरगति प्राप्त सैनिकों के [illegible] को भी इस आदेश से मुक्ति दी जाती है।

[illegible]

३। मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या ४८७२, दिनांक २५ सितम्बर, १९६७ में छटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिये नियुक्तियों में प्राथमिकता दी गयी है। अतः इस कोटि के व्यक्तियों के ठीक बाद उपर्युक्त परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

४। निबन्धक, उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वे भी अपने अधीनस्थ वर्ग ३ एवं ४ के पदों पर नियुक्ति हेतु इसी आशय का परिपत्र निर्गत करने की कृपा करें।

५। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने अधीनस्थ सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्त शासी निकाय एवं स्थानीय संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं से युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के सदस्यों को उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त अपेक्षित आदेश निर्गत करने के लिये अनुरोध करें।

सच्चिदानन्द सिन्हा,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं० ३/आर १/१०१/७२-नि०—१३०५।

५ माघ, १८९६ (श०)

पटना-१५, दिनांक———————

२५ जनवरी, १९७५

प्रतिलिपि निबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

सच्चिदानन्द सिन्हा,

सरकार के उप-सचिव।

No. 13/34/71-Ests (G).

GOVERNMENT OF INDIA.

CABINET SECRETARIAT.

(Department of Personnel.)

New Delhi, dated the 25th December, 1971.

OFFICE MEMORANDUM.

Subject:— Members of families of Defence Services personnel killed in action—Concessions for appointment to Class III and IV posts,

As the Ministry of Defence, etc, are aware, powers have been deligated to Ministries / Departments / authorities declared as Head of Department under S. R, 2 (10) to appoint, without reference to the Employment Exchange, a son/daughter, near relation of a Government servant who dies in harness, in the circumstances referred to in M. H. A. O. M. no. 71/88/58-CS (C), dated the 24th October, 1958, O. M. no, 14/14/66-Estt. (D), dated the 8th August, 1966 and O. M. no. 14/21/67-Estt. (D), dated the 1st January, 1968.

2. The question of providing relief to members of families of Defence Services killed in action has now been considered. As the members of the families of such deceased Defence Services personnel are in need of immediate rehabilitation, it has been decided that up to two members each of the family of Defence Services personnel killed in action may be appointed, without registration at the Employment Exchange to Class III/IV posts filled by direct recruitment. For the purposes of this concession, the members of the families of such deceased Defence Service personnel would include, besides his widow, his sons, daughters/near relations who agree to support his (the deceased's) family.

3. For giving effect to the concession mentioned in paragraph 2, cases of such of the eligible dependents of the deceased Defence Services personnel, who are not absorbed in civilian posts under the Ministry of Defence, shall be referred by the Directorate of Resettlement of that Ministry to the Special Cell of the Directorate-General of Employment aud Training and the latter shall arrange for their absorption in Class III or IV posts, as the case may be in/under other Ministries Departments, under Priority II (A) i, e., immediately below the retrenched Government employees

and disabled ex-servicemen who are included in Priority I, vide this Department letter no, 14/21/71 Estt. (D),. dated the 25th December, 1971

S. KRISHNAN,

Deputy Secretary to the Government of India,

To

ALL UNION TERRITORY GOVERNMENTS / ADMINISTRATIONS.

S, KRISHNAN,

Deputy Secretary to the Government of India.

APPENDIX IV.

PROCEDURE FOR DEALING WITH APPLICATIONS RECEIVED FROM THE EMPLOYMENT EXCHANGE.

---

1. All the applications that are received in the requisitioning office from the Employment Exchange will be immediately passed on to a specified assistant / clerk who will be incharge of receipt and accounting of applications.

2. He will stamp and number the applications using a numbering machine. The applications received every day will be entered by him in a register to be maintained in the following form, datewise :—

FORM OF APPLICATION REGISTER.

Date.	Serial no. of application.			Accepted applications		No. of other applications not acceptable.
	From—	To.	Total.	Serial no.	Total.	
1	2	3	4	5	6	7

The applications will be sorted out into two groups— (a) applications within zone of consideration, and (b) applications beyond the zone of consideration. The head of office will fix the zone of consideration allowing a margin of 10 per cent below the marks obtained by the last candidate selected in the previous recruitment or on some other rational criteria in lieu thereof, As for instance, it may be convenient while scrutinising the applications to fix up a higher percentage of marks and summarily reject those below that perbentage, Under each group again applications received from Scheduled Castes and Scheduled Tribes ex—servicemen and retrenched hands will be bundled seperately.

The receiving assistant / clerk will attach a Covering Slip in Form 'X' to each bundle and send it to the Section officer / Dealing assistant / Head Clerk / Dealing Clerk, as the case may be, who in his turn will check the relevant particulars contained therein,

note down the total percentage of marks as evaluated for purposes of recruitment on the top of the applications and sort them into bundles of 25 or 30 on the same day, sign the covering sliP attached to each such bundle as token of check and pass them on to a selected officer or officers for their scrutiny. The Covering Slip will indicate the name of the receiving assistant / clerk who makes the initial scrutiny of the Section Officer / Head Clerk or the dealing assistant / dealing clerk who carries out the subsequent check and the name and designation of the officer who checks and passes order regarding applications to be accepted as a result of the scrutiny.

4. Non-acceptable applications following the above scrutiny and check will be kept in bundles of hundreds serially arranged, with the first and last number in each bundle on the top and preserved under lock and key until the next recruitment,

5. The scrutinised bundles of acceptable applications will be entered in sheets in the following form :—

Register of acceptable applications.

Year of recruitment ....

Serial no.	Application. no.	Marks at the minimum prescribed examination e. g.%	Bonus Marks for— Higher education.	Higher age.	Sports,	Total.	Whether S.C. S.T. Ex-serviceman, Retrenched hand	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

All the sheets will be stitched into a register at a later date.

6. Each bundle of acceptable applications along with the sheet will be put up to the Selection Committee for orders. Allotment of marks in cols 5 and 6 will be decided by the Committee who will also record the total in col. 7.

7. As soon as the last day for the receipt of applications is over, a merit list will be prepared based on the total number of marks and then entered in a ruled register from which selected candidates will be offered for appointment. The register will be in the following form :—

CANDIDATE ALLOTMENT REGISTER

Serial no.	Application no.	Name of the candidate.	Community.	Date of birth.	Marks in the minimum prescribed examination.	Bonus for higher education.	Bonus for higher age.	Bonus for sports.	Total.	Whether qualified.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Entries in this register should be adequate to allow for drop-outs later.

FORM 'X'

COVERING SLIP.

Bundle no. ... ...

Application nos. ... ...

Total ....

(a) Scrutinised by — — — — — — — — — Assistant on — — — — — — —
(Name of Receiving Clerk) (date)

(b) Checked by — — — — — — — — Section Officer / Dealing Assistant
on — — — — — — (Name of Head Clerk or Dealing Clerk)
(date)

(c) Sent to — — — — — — — — — — — — on — — — — — for check and
(Name and Designation of officer) (date) order.

(d) Returned to Section on — — — — — — — — — — — — after check.
(date)

APPENDIX V

कार्मिक विभाग के संकल्प सं० ३ / आर०१-१०३५ / ७२-का० —१३९९७

दिनांक ११ जुलाई, १९७२ का सुसंगत अवतरण ।

विषय :— अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये अराजपत्रित सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जानेवाले आरक्षित पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ लिखित परीक्षा में अनुकूल मापदण्ड का निर्धारण ।

क— सीधी भर्ती के मामले में चाहे वह परीक्षा के जरिये की जाय अथवा अन्य प्रकार से, यदि सामान्य मानक के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के निमित्त पर्याप्त संख्या में उक्त जातियों / जन-जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उनके लिये आरक्षित शेष रिक्तियां भरने के लिये इन समुदायों के उम्मीदवारों का चुनाव किया जाय, बशर्ते कि वे ऐसे पद या पदों के लिए अयोग्य न हों । इस प्रकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये जितनी रिक्तियां आरक्षित हों, उन सबको यदि सामान्य मानक के आधार पर नहीं भरा जा सकता हो, तो इन समुदायों के उम्मीदवार आरक्षित कोटा की कमी को पूरा करने के लिये मानक को शिथिल करके लिये जायें, बशर्ते कि ये उम्मीदवार प्रश्नगत पद / पदों पर नियुक्ति के योग्य हों । यदि इन जातियों के उम्मीदवार नियुक्ति के लिये अयोग्य समझे जायें तो सम्बन्धित पदाधिकारी या चयन समिति को किस कारण ये अयोग्य पाये गये, उसका उल्लेख करना होगा ।

ख— उपर्युक्त नीति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये सुरक्षित पदों पर इन जातियों के प्रथम उन सभी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाय जो सभी उम्मीदवारों के लिये निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किसी पद के लिये योग्य पाये जायें । इसके बाद भी यदि इन जातियों के लिये सुरक्षित पद रिक्त रह जाते हैं तो इन जातियों के उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाय, जो इन पदों के लिये अयोग्य नहीं पाये गए हों । इसका अर्थ यह होगा कि यद्यपि इन जातियों के उम्मीदवार सभी उम्मीदवारों के लिये जो स्तर निश्चित किया गया, उस स्तर के योग्य नहीं पाये गये, तो भी, यदि वे नियुक्ति के अयोग्य नहीं हों, तो उनकी नियुक्ति की जाय ।

बि० स० मु० (कार्मिक) ७५—मोनो—२०००—६-५-१९७६—रा० ना० सिन्हा

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री सच्चिदानन्द सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त, रांची।

पटना-१५, दिनांक ६ अप्रैल, ७६।

विषय :— तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।

महोदय,

निदेशानुसार आपके दूर-मुद्रण संवाद संख्या २४५४ दिनांक १०-२-७५ एवं ४१६ (१) / स्था० दिनांक २४-३-७६ के प्रसंग में मुझे कहना है कि तृतीय वर्गीय (अव्यावसायिक) पदों पर नियुक्ति के लिये कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ११९८ का० दिनांक २८-१-७६ में निर्धारित प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की याचना की गई है :—

(१) उपर्युक्त पद पर नियुक्ति का आधार माध्यमिक बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्राप्तांक पर जो प्रतिशत निकाला जायगा वह कितने दाशमिक अंक तक निकाला जायगा ?

(२) गुण सूची (Merit List) में वैसे व्यक्तियों का स्थान कैसे निरूपित किया जायगा, जिन्होंने उपर्युक्त परीक्षा में समान प्रतिशत अंक प्राप्त किया है।

(३) समाहरणालय में टंककों का कोई स्वीकृत बल नहीं है। समाहरणालय में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ टंकन-ज्ञान पर प्राथमिकता दी जाती रही है एवं ऐसे लिपिकों से टंकन कार्य संपादन किया जाता है। अतः इस पद पर नियुक्ति के लिए टंकन ज्ञान पर बल दिया जायगा या नहीं तथा टंकन-ज्ञान के लिए जांच परीक्षा ली जायगी, या इनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र को ही आधार माना जायगा ?

(४) छंटनीग्रस्त व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। यदि ऐसे व्यक्ति उपर्युक्त पद के लिए उपलब्ध हैं तो उनसे टंकन ज्ञान की जांच परीक्षा ली जायगी या नहीं ?

(५) माध्यमिक स्कूल परीक्षा में एक अतिरिक्त दसवां-पत्र है। इस पत्र में प्राप्त अंक को अनिवार्य विषयों में प्राप्त कुल अंक के साथ जोड़ा जायगा या नहीं।

उपर्युक्त बिन्दुओं में से (३) एवं (४) पर राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यथा समय सरकार के निर्णय से आपको अवगत करा दिया जायगा। अवशेष बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे दिया जा रहा है—

(१) प्राप्तांक पर प्रतिशत पूर्णांक के बाद एक दशमलव अंक तक निकाला जाय। यदि यह अंक ५ या इससे अधिक आता हो तो पूर्णांक के साथ १ जोड़ दिया जाय एवं यदि यह अंक ५ के नीचे आता हो तो उसे छोड़ दिया जाय।

(२) उपर्युक्त प्रक्रिया से प्रतिशत निकालने के बाद यदि दो या अधिक व्यक्तियों का प्रतिशत एक समान आता है तो गुण सूची में ऐसे व्यक्तियों का स्थान आयु के आधार पर सुनिर्दिष्ट किया जाय, अर्थात् अधिक आयु वाले का नाम ऊपर और कम आयु वाले का नाम उनके नीचे।

(३) चूँकि परीक्षाफल का एग्रिगेट, अतिरिक्त टेस्ट पेपर में क्वालिफाइंग मार्क को जोड़कर निर्धारित किया जाता है, अतः इसे न जोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। कहने का तात्पर्य कि एग्रिगेट निर्धारण में अतिरिक्त टेस्ट पेपर में प्राप्त योग्यता प्रदायी अंक भी जोड़ना है।

विश्वासभाजन,

ह०/— सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ३/ सी १-५०६/७५ का० ७००६

पटना-१५, दिनांक ९ अप्रैल, ७६।

प्रतिलिपि— सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं मार्गदर्शनार्थ प्रेषित।

ह०/— सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या ३/ एम १-५०७/७६ का० ११६७२

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता, गोपालगंज।

पटना-१५, दिनांक ९ जून, ७६।

विषय : — सरकारी कार्यालयों में वर्ग-३ के अव्यावसायिक पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ नई व्यवस्था का निरूपण।

महोदय,

निदेशानुसार आपके अ० स० पत्र संख्या २०५/मु० दिनांक २४-४-१९७६ के प्रसंग में मुझे कहना है कि आपके द्वारा तृतीय वर्गीय (अव्यावसायिक) पदों पर नियुक्ति के लिये कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ११९८ का० दिनांक २८-१-१९७६ में निहित प्रक्रियाओं के प्रसंग में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है :—

(१) उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-७ में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पद विशेष के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिये जो बोनस अंक देय है वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त कुल अंक के पांच प्रतिशत होगा या उक्त कुल अंक के प्रतिशत का ५ प्रतिशत ? इन्टरमीडियट उत्तीर्ण के लिये यह बोनस अंक देय होगा या नहीं ?

(२) आवेदकों को सभी प्रकार के अंक देने के बाद यदि दो या इससे अधिक आवेदकों को एक ही समान अंक प्राप्त हों तो गुणन-सूची (Merit List) में इनलोगों का स्थान कैसे निरूपित किया जायगा ?

(३) यदि टंकन का ज्ञान आवश्यक हो तब निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति करने के लिये आवेदकों द्वारा टंकण परीक्षा में प्राप्तांक को उनकी शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांकों में प्रतिशत निकालने के पहले जोड़ा जायगा अथवा नहीं ?

उपर्युक्त बिन्दुओं पर आवश्यक स्पष्टीकरण कंडिका क्रम में नीचे दिया जा रहा है :—

(१) पद-विशेष के लिये विहित स्कूल एवं कॉलेज की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक पर जो प्रतिशत अंक निकाला जायगा उसे पूर्ण अंक १०० का द्योतक माना जाय एवं उस पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए ५ अंक बोनस के रूप में दे दिया जाय। उदाहरणस्वरूप यदि कुल प्राप्तांक पर ५० प्रतिशत अंक निकलता है तो उस ५० को १०० पूर्ण अंक के समतुल्य समझा जाय एवं उस ५० के ऊपर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए ५ अंक जोड़ दिये

जायें। तदनुसार कुल अंक ५५ होगा। "इन्टरमीडियेट" के लिये कोई बोनस अंक अनुमान्य नहीं होगा। मात्र डिग्री अथवा अन्य उच्चतर उपाधि के लिए यह अनुमान्य है।

(२) इस बिन्दु को इस विभाग के पत्रांक ७००६ दिनांक ९-४-७६ (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका २ में स्पष्ट कर दिया गया है।

(३) यह प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। निर्णयोपरांत आपको आवश्यक सूचना दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह०— सी० आर० वेंकटरमन,
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक ३/ एम १-५०७/७६ का० ११९७२

पटना-१५, दिनांक ९ जून, ७६।

प्रतिलिपि— सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला दण्डाधिकारियों को सूचनार्थ एवं मार्ग-दर्शन के लिए प्रेषित।

ह०/— सी० आर० वेंकटरमन,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग ।

संकल्प

५९८९
का० ———
५/४/१९७७

विषय :— राज्य सरकार के अधीन सभी स्वशासी बोर्डो, निकायों, निगमों एवं विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सभी स्तर के पदों पर (वर्ग ४ एवं उसके समकक्ष पदों को छोड़कर) नियुक्तियों के लिये कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या—१९१८ दिनांक २८-१-१९७६ की कंडिका—३ में संशोधन ।

कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या १९१८ दिनांक २८-१-७६ की कंडिका—३ में राज्य सरकार के अधीन स्वशासी बोर्डो निगमों, कम्पनियों एवं विश्वविद्यालयों में सभी स्तर के पदों (वर्ग ४ एवं उसके समकक्ष पदों को छोड़कर) पर नियुक्तियां प्राप्तांकों के आधार पर बिना अन्तर्वीक्षा एवं लिखित परीक्षा के करने की प्रक्रिया विहित की गई थी। इस प्रसंग में राज्य सरकार की दृष्टि में यह बात लाई गई है कि स्वशासी बोर्डो, निकायों, निगमों एवं कम्पनियों आदि के अधीन वर्ग—१ एवं वर्ग—२ के पदों पर मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता को आंकना व्यावहारिक नहीं ।

उपर्युक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संकल्प संख्या—१९१८ दिनांक २८-१-७६ की कंडिका—३ में आंशिकरूप से संशोधन करते हुये निर्णय लिया है कि स्वशासी बोर्डो, निकायों, कम्पनियों एवं विश्वविद्यालयों के अधीन वर्ग—१ एवं वर्ग—२ के स्तर के पदों पर नियुक्तियों में कंडिका—३ में विहित प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया केवल वर्ग- ३ के पदों को भरने में ही लागू रहेगी ।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी आयुक्त / आयुक्त, सांख्यिक वित्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /— सच्चिदानन्द सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या—३ / आर १—३०२ /७४ का ५९८९ पटना—१५, दिनांक ५ अप्रील, १९७७।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशित कर दें एवं उसकी १००० प्रतियां कार्मिक विभाग को भेज दें।

ह० / (सच्चिदानन्द सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या—३ / आर १ - ३०२ /७४ का० ५९८९ पटना—१५, दिनांक ५ अप्रील, १९७७।

प्रतिलिपि— महालेखाकार बिहार, पटना / सांख्य आयुक्त / ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टर-प्राइजेज / आयुक्त, तात्विक वित्त / सभी विभागाध्यक्ष / सरकार के सभी जिला पदाधिकारियों / सचिव, लोक सेवा आयोग को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई हेतु अग्रसारित।

२— सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इससे अपने अधीनस्थ सभी स्वायत्तशासी प्रतिष्ठानों, निकायों, निगमों एवं कम्पनियों को अवगत करा दें।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

ज्ञाप संख्या ३ / सी १-५०६ / ७५ का० १६२८२ / पटना—१५, दिनांक ३१ अगस्त, १९७७।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला दंडाधिकारी

सभी उपायुक्त

विषय :— वर्ग-३ के पदों पर नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि उपायुक्त, रांची के द्वारा तृतीय वर्गीय (अव्यावसायिक) पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग से निर्गत संकल्प संख्या १९१८ दिनांक २८ - १ - १९७६ के कई बिन्दुओं पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। वांछित स्पष्टीकरण उनको इस विभाग के पत्रांक ३ / सी १ - ५०६ /७५ का० ७००६ दिनांक ६ - १ - ७६ के द्वारा भेजा गया था एवं इसकी प्रति सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को भी भेजी गई थी।

२- इसमें एक बिन्दु यह भी सन्निहित था कि मुफस्सिल कार्यालय जहाँ टंकक का कोई स्वीकृत बल नहीं है एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ टंकन-ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है तथा ऐसे लिपिकों से ही टंकन कार्य सम्पादन किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में उक्त कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति के लिये टंकन-ज्ञान पर बल दिया जायगा या नहीं ? टंकन ज्ञान के लिये जाँच परीक्षा ली जायगी या अभ्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र को ही आधार माना जायगा ?

३- इस प्रश्न पर विचार कर राज्य सरकार ने बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली १९५८ के नियम १४८ के उप-नियम (क) को शुद्धि पत्र संख्या २७ दिनांक २ - ५ - १९७७ के द्वारा संशोधन करते हुए मोफस्सिल कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण ज्ञान अनिवार्य कर दिया है एवं मोफस्सिल कार्यालयों में वैसे कोई भी उम्मीदवार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के योग्य न होंगे जिनकी टंकन गति हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रति मिनट क्रमशः २५ तथा ३० शब्द से कम हो।

४- इस संशोधन के आधार पर मोफस्सिल कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों में से मात्र उन्हीं उम्मीदवारों की एक सूची संकल्प संख्या १९१८ दिनांक २८ - १ - १९७६ की कंडिकाओं ७, ८ एवं ९ में विहित प्रक्रिया के आधार पर तैयार की जाय जिन्हें ही उपयुक्त टंकन में विहित ज्ञान का मान्यताप्राप्त संस्थाओं से प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

इस तरह की सूची तैयार कर लेने के बाद उम्मीदवारों के टंकन ज्ञान की जांच परीक्षा ली जाय एवं जाँच परीक्षा में जिन्हें विहित टंकण गति प्राप्त हो, उन्हें ही उपयुक्त सूची में से क्रमानुसार नियुक्त किया जाय।

२- कृपया अपने अधीनस्थ सभी मोफस्सिल कार्यालयों को इस आदेश से अवगत करा दिया जाय।

ह०/- अस्पष्ट
(सच्चिदानन्द)
सरकार के अपर सचिव।

एजक/३०/८

ज्ञाप सं० ३/ आर १-३०४/७३ का० —१२७१४।

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना, दिनांक, १२ जुलाई, १९७७।

विषय :— सेवा काल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-३ एवं वर्ग-४ के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि सेवा काल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते बहुतेरे मामलों में उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे विपत्ति के समय संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को साहाय्य देने के प्रश्न पर शासन कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सरकारी सेवकों के परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ग-३ एवं वर्ग-४ के पदों पर, जहां लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय। उक्त प्राथमिकता के लिए निम्नलिखित शर्त एवं तथ्य अनिवार्य होंगे :—

(१) मृत सरकारी सेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, अर्थात् उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का जीविकोपार्जन का कार्य न करता हो और यदि करता भी हो, तो उसकी आमदनी पूरे परिवार के साधारण भरण-पोषण के लिये अपर्याप्त हो एवं उसकी सम्पत्ति और देनदारी को देखते हुए इस प्रकार की सहूलियत देना जायज हो।

(२) उपर्युक्त कोटि के सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएं उपलब्ध हों तथा उनकी उम्र विहित आयु-सीमा के अन्दर हो। विशेष परिस्थिति में सेवा संहिता के नियम ७४ के अधीन आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है।

(३) नियुक्ति विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेश संख्या ८१६७-नि०, दिनांक २१ जून, १९६६ के अनुसार राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को नियोजनालय में नामांकन कराना आवश्यक है, किन्तु, उक्त सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को इस आदेश से मुक्ति दी जाती है। साथ ही, सम्बन्धित व्यक्ति पद विशेष पर नियुक्ति के पात्र हैं या नहीं इसका निर्णय नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं करेंगे।

(४) इस सहूलियत का लाभ, सामान्यतया सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से दो वर्षों तक प्राप्त रहेगा।

(५) नियुक्ति बिलकुल अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर होगी और संवर्गीय वरीयता के लिए इसकी मान्यता नहीं दी जा सकेगी। विहित प्रक्रिया के पालन के बाद ही उसकी नियुक्ति नियमित की जा सकेगी।

(६) इस आदेश में उल्लिखित "परिवार" से सामान्य तात्पर्य है, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियां।

(७) मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन देते समय अनिवार्य रूप से अनुलग्न सूचनाएं भी देनी होंगी।

३. नियुक्ति पदाधिकारी, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिये दिये गए आवेदन की तथ्यात्मक जाँच स्वतन्त्र रूप से करने के बाद सम्बद्ध विभाग का आदेश प्राप्त करेगा और आदेश देने के पूर्व विभाग हर मामले में कार्मिक विभाग का परामर्श लेगा।

४. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी सम्बन्धित विभाग, अपने अधीनस्थ सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्वायत्त-शासी निकाय एवं स्थानीय संस्थाएं तथा नगरपालिकाओं आदि से उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त निर्देश निर्गत करें।

सच्चिदानन्द सिन्हा,

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/ आर-१-३०४/७३-का०—१२७५४।

दिनांक १२ जुलाई, १९७७।

प्रतिलिपि निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधान सभा / विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय एवं विधान मंडल के अधीन वर्ग-३ तथा ४ के पदों पर नियुक्ति हेतु इस आशय का आदेश निर्गत करने पर विचार करें।

सच्चिदानन्द सिन्हा,

सरकार के अपर सचिव।

सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सरकारी-सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिए प्रपत्र।

खण्ड १

१. (क) मृत सरकारी सेवक का नाम ... ...

(ख) उनका पदनाम, वेतनमान, प्राप्त वेतन तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे।

(ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण ... ...

(घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि ... ...

(ङ) स्थाई थे या अस्थाई ... ...

(च) क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्य थे ....

२. (क) सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम

(ख) उनका मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध ....

(ग) जन्म-तिथि ....

(घ) शैक्षणिक योग्यता ... .

(ङ) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर पहले हुई है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्योरा दें।

३. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पत्ति का विवरण, निम्नांकित मदों की राशि सहित—

(क) पारिवारिक पेंशन ....

(ख) डी० सी० आर० ग्रेच्युटी ... .

(ग) सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि ....

(घ) जीवन-बीमा पालिसी ... ...

(ङ) चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय ... .

४. देना-पावना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो ... .

५. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का पूर्ण विवरण (यदि किन्हीं को पहले से नियोजन प्राप्त है तो उनका विवरण, उनकी आय एवं यह भी कि वे संयुक्त रूप से रह रहे हैं या पृथक रूप से)।

क्रम संख्या एवं नाम	मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध एवं आयु।	सेवारत हैं या नहीं, सेवा का पूर्ण विवरण एवं कुल उपलब्धियां।
१.		
२.		
३.		
४.		
५.		
६.		

घोषणा-पत्र

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। यदि उपर्युक्त कोई भी तथ्य भविष्य में गलत या झूठा कोई भी पाया जायगा, तो मेरी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध ऐसी कार्रवाई भी की जा सकती है, जो उचित और अपेक्षित हो।

....

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

प्रपत्र २

१. (क) नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का नाम

(ख) मृत सरकारी सेवक से उसका सम्बन्ध

(ग) शैक्षिक योग्यता, उम्र (जन्म-तिथि) एवं अनुभव, यदि कोई हो।

(घ) जिस पद पर नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है।

२. (क) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति के लिए भर्ती नियमावली में उपबन्ध है ?

(ख) क्या अभ्यर्थी उस पद के लिये भर्ती नियमावली में विहित अर्हता की पूर्ति करता है ?

(ग) नियोक्ता [illegible] का विनोदन करती है, क्या अन्य कोई [illegible] करना [illegible] है ?

३. क्या मद १ में उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय / विभाग द्वारा स्वतन्त्र रूप से जाँच कर ली गई है ? यदि हाँ, तो ऐसे अभिलेख का उल्लेख करें।

४. यदि सरकारी सेवक की मृत्यु की अवधि दो वर्ष से अधिक की हो गई हो, तो मामले को यथा समय क्यों नहीं निर्णीत किया गया ?

५. नियोक्ता की अनुशंसा

पि० स० यु० (कार्मिक) ११ — पी० वी० — 1,००० — [illegible]